फर्द अहकाम

(नियम 26).

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती मंजू देवी बनाम ग्राम(गोगा)

नम्बर मुकदमा प्रा०प० 111/128 नं0 192 सन 2020

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...-128	बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 15-12-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
15/12/20	... राजकीय ... पत्रावली पर ... / ... पत्रावली ... 24-12-20 ... रीडर ... अधिकारी माण्डल	
24-12-20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 4-2-21 को पेश हो।	
4/2/21	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल पटवार हल्का माण्डल पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाकर वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.07.08 16:34:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- श्री पूजा सक्सैना आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 192/20 प्रा०पत्र

श्रीमती कंकु देवी प० श्री रामप्रसाद बलाई निवासी- बलाईखेडा त० माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्री प्रताप s/o श्री [illegible] [illegible] निवासी- नीम का खेडा त० माण्डल
श्री मोहन s/o श्री [illegible] [illegible] ——————— " ———————
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनाक – 29-01-2021

::आदेश::

...र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवदन ...या कि ग्राम बलाईखेडा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे उसके ...ते / सयुक्त खाते की आराजी न 3247/1, 3248/1 कुल किता 02 रकबा 03 ...घा 07 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा ...ह नही होने से आये दिन सीमा सबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त ...ते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

...त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनाक 05-11-2020 को पजीबद्ध किया जाकर प्रकरण का ...लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की हान स पत्थरगढी ...ने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हरा–फेरी ...का अंदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए ...क की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

...का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बलाईखेडा ... हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे उसके खाते / सयुक्त खाते की आराजी न 3247/1, 3248/1 कुल किता 02 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी कि[illegible] हेतु पत्थरगढी किये जाने का ... दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निर[illegible] माण्डल को 300/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। [illegible] मौके पर जमा ... कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् [illegible] कब्जे की यथास्थिति को बनाये हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फस[illegible] खडी होने पर पत्थरगढी नही की ...

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ...रगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.07.08 16:34:33 IST
Reason: SelfAttested